राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 900/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स मॉडर्न रोड मेकर्स प्रा0 लि0, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन. शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 4,32,56,900/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी एक वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर है तथा उसे आवंटित विभिन्न संविदा कार्य उसने सब–कॉन्ट्रेक्टर्स के माध्यम से भी करवाये तथा सब कॉन्ट्रेक्टर्स को उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निश्चित दरों पर मैटेरियल मुख्यतः सीमेन्ट, डामर लोहा आदि भी सप्लाई किये। कालान्तर में इस माल की कीमतें बढ़ जाने के बावजूद उसे यह माल पूर्व में agreed कीमतों पर सप्लाई करना पड़ा जिस कारण से उसे हानि हुई, अतः उसने माल Loss में बेचा। वर्ष 2012–13 हेतु अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण दिनांक 16.05.2018 को सम्पूरित करते हुए सहायक आयुक्त, विशेष वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने उक्त हानि को अमान्य करते हुए अपीलार्थी द्वारा कम कीमत पर किये गये विक्रय को subsidized कीमतों पर माल बेचना मानते हुए इस पर देय ITC का लाभ अस्वीकृत करते हुए कर रूपये 1,18,42,686/–, ब्याज रूपये 89,13,342/– एवं शास्ति रूपये 2,36,85,372/– कुल राशि रूपये 4,44,41,400/– का आरोपण किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2018 द्वारा अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 4,32,56,900/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा सब्सिडाईज्ड कीमत पर माल का बेचान नहीं किया गया है, जिससे उनके प्रकरण में धारा 18(3ए) लागू नहीं होती है। अतः उन्होंने व्यवहारी पर अरोपित निरन्तर.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 900/2018.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 2 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/08/2018	रिवर्स कर, ब्याज व शास्ति अविधिक बताया। उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा sub-contractors को क्रय मूल्य से कम कीमत पर माल बेचा गया है एवं इस अन्तर राशि को व्यवहारी द्वारा उसके विक्रेता/सरकार/अन्य किसी योजना के तहत subsidy या पुर्नभरण के रूप में प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार कम कीमत पर बेचकर हुई हानि को व्यवहारी ने वहन किया है। उनके द्वारा किये गये आईटीसी क्लेम को उचित बतलाते हुए उन्होंने अपील के निस्तारण तक कर, ब्याज व शास्ति राशि को स्थगित करने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की ओर से निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित है तथा उन्होंने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अपास्त करने का निवेदन किया। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जी.एन. शर्मा एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गई। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 4,32,56,900/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	